CGJC060009612022

IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, SAKTI, Distt.-JANJGIR CHAMPA (C.G.) Presiding Officer - Smt- Ganga Patel	
(Date of the Judgement 24/01/2024) (Criminal Case No 777/2022) CNR NO. CGJC060009612022 (Details of FIR No. 94/2021/ Police Station - Dabhara)	
Complainant	State of Chhattisgarh Thrugh Police Station - Dabhara Distt.-Janjgir Champa (C.G.)
Represented By	Shri Arvind Jaisawal (A.D.P.O.)
Accused Name	**1-** Santosh Kumar Patel S/o Damodar Patel Age- about 28 years, Address- Charpara Thana-Sakti, Hall Mukam Amraiya para Sonthi Distt.-Janjgir-Champa (C.G.) **2-** Pramila Sahu D/o Late Rajesh sahu, Age- about 20 years, Address- Charpara Thana-Sakti, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)
Represented By	Shri S.N. Singh Dipty Chief LADC.

FORM-E

Date of offence	21-02-2021 To 22-02-2021
Date of FIR	22-02-2021
Date of Charge Sheet	28-06-2021
Date of Framing of Charges	04-10-2021
Date of Commencement of Evidence	30-10-2021
Date of which Judgement is reserved	24-01-2024
Date of the Judgement	24-01-2024
Date of the Sentencing Order, if any	NA

Accused Details

Rank of Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of relese of bail	offence charged or with	whether acuitted convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trail for purpose of section 428 Cr.P.C.
A1	Santosh Kumar Patel	17-05-2021	-	**Sec 457, 380/34 IPC**	Acuitted	NA	982 Day
A2	Pramila Sahu	17-05-2021	-	**Sec 457, 380/34 IPC**	Acuitted	NA	982 Day

Form-F
INDEX

S. No.	Description	Page no.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	4 & 5
4	Admitted Facts	5
5	Prosecution Story	5 & 6
6	------------------	--
7	----------------------	--
8	Reasons and findings	11 to 34
9	Sentence	NA
10	Period Of Detention & Set-Off	NA
11	Disposal of Property	34
12	Order of Compensation	NA
13	Certificate under section 428 CrPC	36
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of fine)	NA
15	Copy of Judgement	1- 36

– :: निर्णय ::–

(आज दिनांक 24–01–2024 को घोषित किया गया)

–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–::–

(01) अभियुक्तगण संतोष कुमार एवं प्रमिला साहू के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 सहपठित धारा 34** के अधीन दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उन्होंनें दिनांक 21.02.2021 से 22.02.2021 को दरमियानी थाना डभरा क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम कुसुमझर के सावित्री काम्पलेक्स में स्थित प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल के कपड़ा दुकान से (जो मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है) में चोरी (जो कारावास से दण्डनीय है) करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं आपस में एक साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय कायम कर उक्त आशय के अग्रसरण में उक्त दुकान से 11,930/–(अक्षरी ग्यारह हजार नौ सौ तीस रुपये) नगद, 10 नग दुल्हन

साड़ी, लड़कियो के जींस 11 नग 28 नंबर का, 24 नग 30 नंबर का, 11 नग 32 नंबर का, 9 नग 26 नंबर का, 15 नग प्लाजो, 12 नग हाफ पेंट, 4 नंग बंधन साडी, 4 नग सुंदर साड़ी, 12 नग लोवर, 9 नग आई स्मार्ट साडी, 40 नग फाल, 20 नग दुपट्टा, 30 नग मोजा, 7 नग कुर्ती, लड़का जींस 11 नग 28 नंबर का, 9 नग 30 नंबर का, 10 नग 32 नंबर का, 4 नग 34 नंबर का, 7 नग गमछा, 10 नग लूंगी, 10 नग टी शर्ट, 1 नक कैंची, 2 नग चश्मा, 4 नग मार्कर पेन, 1 नग इनोवा चाबी, 1 नग स्कूटी चाबी, 14 नग लिंग ताला का चाबी, 2 नग शटर खोलने का हैंडल चाबी जुमला 85,930/–(अक्षरी पचासी हजार नौ सौ तीस रुपये) को दुकान के संरक्षक की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ।

(02) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है ।

(03) **अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि** प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल थाना डभरा उपस्थित होकर मौखिक शिकायत दर्ज कराया कि प्रार्थी का ग्राम कुसुमझर में हसौद से डभरा मुख्य मार्ग पर मंख अमर साड़ी संसार के नाम से कपड़ा बिक्री हेतु

रखा था । दिनांक 21.02.2021 को करीबन रात्रि 7.00 बजे दुकान बंद कर खाना खाने चला गया । खाना खाकर रात्रि में मंझला भाई आकर 15 नंबर कमरा में सोया रात्रि करीबन 03.00 बजे टायलेट करने गया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा है । दुकान से साड़ी, ब्लाउज, जींस, पेंट, दुपट्टा, कुर्ती, मोजा, फाल एवं अन्य सामान नगदी रकम 11,930/–जुमला कीमती 85,930/–रुपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है । प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान घटना स्थल, निरीक्षण, गवाहो का कथन लिया गया, दिनांक 17.05.2021 को जरिये मोबाईल से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपीगण संतोष, प्रमिला से चोरी का सामान बरामद हुआ कि सूचना पर थाना सक्ती के इश्तगासा क्रमांक 1–2/2021 धारा 41 (1–4) द०प्र०सं/379 भा०द०सं० के आरोपीगण संतोष कुमार पटेल एवं प्रमिला साहू के कब्जे से प्लाजो कपड़ा 1 नग, हीना साड़ी 1 नग, लड़की का जींस 30 नंबर वाली 3 नग, मोजा 4 नग, लड़का जींस 28 नंबर वाली 2 नग, लोवर 3 नग, साड़ी बंधन कंपनी का 1 नग, साड़ी आई स्मार्ट कंपनी का 1 नग, कीमती 10,000/–रुपये को समक्ष गवाहो के जप्ती पत्रक के मुताबिक

जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । उक्त इश्तगासा थाना डभरा के अपराध क्रमांक 79/2021 धारा 457, 380 भा०द०सं० से संबंधित होने से जे०एम०एफ०सी० सक्ती के न्यायालय से आरोपीगण की फार्मल गिरफ्तारी हेतु अनुमति प्राप्त कर दिनांक 17.05.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर किया गया । प्रकरण में धारा 34 भा०द०सं० जोड़ी गयी । प्रार्थी के पेश करने पर 02 नग बिल जप्त किया गया । प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 170/2021 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

(04) **अभियुक्तगण संतोष कुमार पटेल एवं प्रमिला साहू** कों कंडिका 1 के अनुसार **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457,380 सहपठित धारा 34** के अतर्गत अपराध आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर अभियुक्तगण ने उक्त अभियोग का अपराध करना अस्वीकार किया है तथा विचारण चाहा है।

(05) आरोपीगण के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपीगण का परीक्षण किया जाकर आरोपीगण से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछने पर उन्होंनें बचाव

में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया ।

(06) **विचारणीय प्रश्न यह है कि–**

(i) क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.02.2021 से 22.02.2021 को दरमियानी थाना डभरा क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम कुसुमझर के सावित्री काम्पलेक्स में स्थित प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल के कपड़ा दुकान से (जो मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है) में चोरी (जो कारावास से दण्डनीय है) करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(ii) क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपस में एक साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय कायम कर उक्त आशय के अग्रसरण में उक्त दुकान से 11,930/–(अक्षरी ग्यारह हजार नौ सौ

तीस रुपये) नगद, 10 नग दुल्हन साड़ी, लड़कियो के जींस 11 नग 28 नंबर का, 24 नग 30 नंबर का, 11 नग 32 नंबर का, 9 नग 26 नंबर का, 15 नग प्लाजो, 12 नग हाफ पेंट, 4 नंग बंधन साडी, 4 नग सुंदर साड़ी, 12 नग लोवर, 9 नग आई स्मार्ट साडी, 40 नग फाल, 20 नग दुपट्टा, 30 नग मोजा, 7 नग कुर्ती, लड़का जींस 11 नग 28 नंबर का, 9 नग 30 नंबर का, 10 नग 32 नंबर का, 4 नग 34 नंबर का, 7 नग गमछा, 10 नग लूंगी, 10 नग टी शर्ट, 1 नक कैंची, 2 नग चश्मा, 4 नग मार्कर पेन, 1 नग इनोवा चाबी, 1 नग स्कूटी चाबी, 14 नग लिंग ताला का चाबी, 2 नग शटर खोलने का हैंडल चाबी जुमला 85,930/–(अक्षरी पचासी हजार नौ सौ तीस रुपये) को दुकान के संरक्षक की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ?

(07) प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षीगण कन्हैया लाल जायसवाल

(**अ.सा–1**), लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल (**अ.सा–2**), मुकेश कुमार (**अ.सा–3**), दीपक कुमार (**अ.सा–4**), कमल किशोर जायसवाल (**अ.सा–5**), अमर कुमार जायसवाल (**अ.सा–6**), गणेश जायसवाल (**अ.सा–7**), हेमंत कुमार जायसवाल (**अ.सा–8**), उप निरीक्षक बी०एन० बनाफर (**अ.सा–9**), लक्ष्मी नारायण (**अ.सा–10**), उप निरीक्षक विरेन्द्र मनहर (**अ.सा–11**), निरीक्षक रविन्द्र अनंत (**अ.सा–12**) का न्यायालयीन कथन कराया गया है। अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों पर प्रदर्शांकित कराया गया है–

क्रमांक	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श संख्या**
1	प्रथम सूचना पत्र	**प्र0पी0–1**
2	जप्ती पत्रक	**प्र0पी0–2**
3	साक्षी कन्हैया लाल का पुलिस कथन	**प्र0पी0–3**
4	साक्षी लक्ष्मी प्रसाद का पुलिस कथन	**प्र0पी0–4**
5	मेमोरेण्डम कथन	**प्र0पी0–5 व 7**

6	जप्ती पत्रक	प्र0पी0–6 व 8
7	मकान तलाशी पंचनामा	प्र0पी0–9 व 10
8	गिरफ्तारी पत्रक	प्र0पी0–11 व 12
9	नजरी नक्शा	प्र0पी0–13
10	जप्ती पत्रक	प्र0पी0–14
11	कन्हैया लाल जायसवाल को चोरीशुदा सामान के बिल पेश करने हेतु दिया गया नोटिस	प्र0पी0–15
12	बिल	प्र0पी0–16 से 26
13	जे०एम०एफ०सी० सक्ती के न्यायालय से आरोपीगण के कब्जे से प्रकरण से संबंधित जप्त चोरीशुदा वस्तुओं को थाना सक्ती से प्रदान करने एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी शुमार करने हेतु आदेशित करने बाबत पेश आवेदन	प्र0पी0–27
14	इस प्रकरण से संबंधित गिरफ्तारी पत्रक	प्र0पी0–28 व 29

-:: साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष ::-

विचारणीय बिंदु 1 एवं 2 का निष्कर्ष

प्रकरण में चूंकि दोनो विचारणीय प्रश्न परस्पर अन्योन्याश्रित एवं एक ही घटनाक्रम पर आधारित है, इसलिए यहां पर साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नो का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(08) इस संबध मे अभियोजन की ओर से पेश साक्षी कन्हैया लाल जायसवाल **(अ०सा०-1)** ने अपनें न्यायालीन कथन मे बताया है कि वह आरोपीगण संतोष पटेल एवं प्रमिला साहू को पहचानता है, उनकी पहचान थाना सक्ती में पुलिस वालो ने उससे कराया था। ग्राम कुसुमझर के सावित्री काम्पलेक्स में हमर साड़ी संसार के नाम से उसकी साडी की दुकान है। घटना दिनांक 21.02.2021 की है। घटना दिनांक को वह दुकान खोला था और शाम करीब 7.00 बजे दुकान बंद करके घर आ गया था, फिर उसके बाद उसका छोटा भाई लक्ष्मी प्रसाद दुकान गया तथा लगभग रात के 11 बजे तक जग रहा था, फिर सो गया। उसी रात को करीब 3.00 बजे वह उठकर टॉयलेट जा रहा

था तो उसने देखा कि दुकान के सामने का लाईट बंद था । उसके भाई को शक हुआ तब वह दुकान के पास जाकर दरवाजा को देखा तो दरवाजा टूटा हुआ था, फिर उसका भाई उसे फोन करके बताया कि दुकान क्रमांक 1 से 7 के दरवाजा का ताला टूटा हुआ है, फिर वह उसके जीजा लक्ष्मीनारायण जायसवाल तथा भांजा कमल किशोर जायसवाल तीनो मौके पर आये थे ।

(09) उक्त साक्षी ने अग्र कथन किया है कि उन्होंनें देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था, उसके बाद उसने सुबह करीब 4 बजे थाना डभरा को फोन करके घटना की जानकारी दी, तब पुलिस वाले मौके पर गये, फिर दिनांक 22.02.2021 को उसने थाना डभरा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने चोरी की गयी सामानो की रसीद तथा सामानो की सूची पुलिस को दिया था, जिसे पुलिस वालो ने जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्र०पी०–2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । वह चोरीशुदा संपत्तियो के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं बता सकता । उसने पुलिस को जो सूची

दी थी, उसमें चोरीशुदा संपत्तियो के संबंध में विस्तार में लिखा था, उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण को पहने कभी भी कुसुमझर या उसके दुकान के आस पास घुमते नहीं देख है।

(10) प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश साक्षी लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल **(अ.सा–2)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं पहचानता है। वह प्रार्थी कन्हैया लाल को जानता है, वह उसका भाई है। उसका भाई कन्हैया लाल का सावित्री काम्पलेक्स में दुकान है, उक्त दुकान को उसका भाई खोलता है। दिनांक 22.02.2021 को वह दुकान में सोने गया था, रात करीब 3.00 बजे वह टॉयलेट जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि दुकान नंबर 2,3,4 का ताला टूटा हुअ ा था, फिर वह अपने भाई कन्हैया लाल व लक्ष्मी नारायण को फोन करके बुलाया था, उनके साथ कमल किशोर भी आया था। उसके बाद उसके भाई ने पुलिस को बुलाया

था, उसके बाद क्या कार्यवाही हुई थी, वह नहीं जानता है। उसने पुलिस को बयान दिया था। उक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्र०पी०–4 के अ से अ भाग का बयान पुलिस को दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके भाई के दुकान में किसने क्या क्या चोरी किया था, वह नहीं जानता है। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान को पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

(11) प्रकरण के जप्ती और मेमोरेण्डम साक्षी मुकेश कुमार **(अ.सा–3)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण संतोष व प्रमिला को जानता है। वह प्रार्थी को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य दिनांक से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। अभियुक्तगण कई जगह चोरी किये थे, जिसमें सामान मिला था। चोरी किया गया सामान अमरैय्या सोंठी से मिला था। उसके समक्ष जप्ती कार्यवाही हुआ था, जिसमें बहुत से सामान जप्त किये थे। उसे याद नहीं है कि उसके समक्ष कौन कौन से सामान की जप्ती

की गयी थी । उसके समक्ष गैर सिलेण्डर, चांदी की मूर्ति तथा अनय बहुत से सामान थे ।

(12) साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया है कि पुलिस वालो ने उससे पूछताछ कर उसका बयान नहीं लिये थे । मेमोरेण्डम बयान प्र0पी0–5 व प्र0पी0–7 तथा जप्ती पत्र प्र0पी0–6 व प्र0पी0–8 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसके समक्ष मकान की तलाशी लिये थे, मकान तलाशी पंचनामा प्र0पी0–9 व प्र0पी0–10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने जितने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किया था, उसमें पुलिस वालो ने क्या लिखा था, वह नहीं जानता । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस वालो ने उसे इतना ही बताया था कि अभियुक्तगण से जप्ती किये है । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण संतोष व प्रमिला ने उसके समक्ष कोई बयान नहीं दिया था । इस प्रकार उक्त साक्षी व्दारा मुख्य परीक्षण में किये कथनो का खंडन प्रतिपरीक्षण किया गया है ।

(13) प्रकरण के जप्ती और मेमोरेण्डम साक्षी दीपक कुमार **(अ.सा–4)** ने अपनें

न्यायालीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण को पहचानता है । वह प्रार्थी को नहीं जानता है । उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है । वह ग्राम पंचायत सोंठी का सरपंच है, इसलिए पुलिस वाले उसे फोन किये और बताये कि अमरैय्या पारा में चोरी हुआ सामान मिला है, इसलिए उसे बुलाये थे । उसके समक्ष अभियुक्तगण ने कोई कथन नहीं किया था । पुलिस वालो ने उसके सामने एल०ई०डी० टी०वी०, कैमरा, इंन्वर्टर और बहुत से सामान अभियुक्त संतोष के घर से जप्त किये थे । पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान नहीं मिले थे । मेमोरेण्डम बयान प्र०पी०–5 व प्र०पी०–7 तथा जप्ती पत्रक प्र०पी०–6 व प्र०पी०–8 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसके समक्ष अभियुक्तगण के मकान की तलाशी लिये थे, मकान तलाशी पंचनामा प्र०पी०–11 व प्र०पी०–12 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

(14) साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वह सरपंच होने के नाते उसका थाना आना जाना लगा रहता है । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालो के द्वारा उसे थाने में बहुत से दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये थे ।

साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस वाले ने कौन कौन से दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किया था, उसे पढ़कर नहीं बताये थे । साक्षी ने बात को स्वीकार किया है कि पुलिस वालो ने उसे थाने में बताया था कि अभियुक्तगण के घर से सामान जप्त हुआ है । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से आरोपीगण की संलिप्तता दर्शित नहीं हो रही है।

(15) साक्षी कमल किशोर जायसवाल **(अ.सा–5)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जातना है । वह प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल को जानता है, वह उसके छोटे मामा है । घटना दिनांक 21.02.2021 की है । घटना दिनांक को ग्राम कुसुमझर के सावित्री काम्पलेक्स स्थित उसके छोटे मामा कन्हैया लाल के दुकान में चोरी हो गया था । लक्ष्मी प्रसाद ने फोन करके उनके घर में बताया कि दुकान में कुछ गलत हुआ है, फिर वह, उसके पिता लक्ष्मीनारायण तथा कन्हैया लाल जायसवाल घटना स्थल पर गये थे । घटना स्थल पर जाकर उसने देखा कि दुकान के शटर का कुण्डी टूटा हुआ है, फिर वे लोग घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना डभरा गये थे ।

पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान लिये थे ।

(16) साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि जब वह प्रार्थी के साथ घटना स्थल पर गया तो वहां पर देखा कि हथौड़ा, प्लास, पेचकस इत्यादि सामान नहीं देखा था । साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को ही पुलिस ने उसका बयान लिया था । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त घटना किसके द्वारा कारित की गयी है, वह नहीं जानता । इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से आरोपीगण की संलिप्तता दर्शित नहीं हो रही है।

(17) साक्षी अमर कुमार जायसवाल **(अ.सा–6),** गणेश जायसवाल **(अ.सा–7)** ने अपनें न्यायालीन कथन में आरोपी को पहचानने से इंकार किया है और कथन किया है कि घटना दिनांक 21.01.2021 की है । घटना दिनांक को वे ग्राम कुसुमझर स्थित सावित्री काम्पलेक्स गये थे, जहां पर स्थित 3–4 दुकानो के शटर का ताला टूटा हुआ था, उक्त दुकानो से कुछ कपड़े, पैसे, ड्रील मशीन आदि चोरी हुआ था, उक्त स्थान पर पुलिस वाले बाहर से आये थे । साक्षी ने नजरी नक्शा प्र०पी०–13, जप्ती पत्रक

प्र०पी०–14 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । उक्त हस्ताक्षर उनके द्वारा थाना डभरा में किया गया था और उसमें वह गवाह के रुप में हस्ताक्षर किया था । उनके समक्ष इसके अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं हुआ था । उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंनें जिन दो जगहो पर हस्ताक्षर किया है, उक्त हस्ताक्षर को उन्होंने थाने में किया था एवं हस्ताक्षर करते समय उसने पुलिस वालो ने क्या लिखा था, उन्होंनें नहीं पढ़ा था । इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से आरोपीगण की संलिप्तता दर्शित नहीं हो रही है।

(18) साक्षी हेमंत कुमार जायसवाल **(अ.सा–8)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया । वह प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल को भी नहीं जानता है । उसके साक्ष्य दिनांक से एक वर्ष पूर्व नायक टाडा तेन्दुमुडी के पास होटल में नाश्ता करने आया, तब पुलिस ने उससे कुछ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कराया था, उक्त हस्ताक्षर किस संबंध में कराया था, उसे नहीं मालूम । किन्तु साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र०पी०–2 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । उसके

समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुआ था । उक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र०पी०–2 में उल्लेखित जप्तशुदा सामान उसके समक्ष जप्त किया गया था ।

(19) साक्षी उप निरीक्षक बी०एन० बनाफर **(अ.सा–9)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि थाना प्रभारी डभरा के द्वारा अप० क्र० 94/2021 की केस डायरी उसे प्रदान की गयी थी। उसके द्वारा दिनांक 22–02–2021 को गवाहों के बताये अनुसार घटना स्थल पर जाकर नजरी नक्शा प्र०प्री०–2 तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा अंकित स्थान 1 घटना स्थल है। उसके द्वारा दिनांक 07–06–2021 को प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल चोरी शुदा सामानों के बील पेश करने हेतु नोटिस दिया गया था, जो प्र० प्री० –15 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जिसके जवाब में प्रार्थी 11 नग बिल पेश किया गया था तथा उक्त सामान को कमल जायसवाल के नाम से क्रय करना बताया गया था तथा अन्य बिल को गुमना बताया गया था, जिसके ब से ब भाग पर प्रार्थी का हस्ताक्षर कराया गया।

(20) उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 07–06–2021 को 12.20 बजे थाना डभरा में प्रार्थी के पेश करने पर गवाहों के समक्ष 11 नग बिल को जप्त किया गया था, उक्त बिल प्र0प्री0–16 से लेकर 26 है, जप्ती पत्रक प्र0पी0–2 है, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 22–02–2021 को 17.00 बजे ग्राम कुसुबझर स्थित घटना स्थल चार लोहे का ताला जप्त किया गया था, जप्ती पत्रक प्र0 पी0 –14 है, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी संतोष कुमार एवं प्रमीला साहू के द्वारा प्रार्थी के दुकान से चोरी किया गया है। जिस पर उसके द्वारा जेएमएफसी सक्ती के न्यायालय से आरोपी संतोष कुमार एवं आरोपिया प्रमीला साहू के कब्जे से प्रकरण से संबधित जप्त चोरी शुदा वस्तुओं को थाना सक्ती से प्रदान कराने हेतु एवं आरोपीगण की गिरफतारी सुमार करने हेतु आदेशित करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो प्र0 पी0–27 है।

(21) साक्षी ने अग्र कथन किया है कि उसके द्वारा थाना प्रभारी सक्ती को

ईश्तगाशा क्र० 01/2021 एवं 02/2021 में ईश्तगाशा की सत्यापित छायांप्रति डायरी प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो प्र०पी०– 28 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा थाना प्रभारी सक्ती से ईश्तगाशा क्र० 01/2021 एवं 02/2021 की सत्यापित डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण में संलग्न किया गया। उसके द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी संतोष कुमार एवं प्रमीला साहू को गवाहों के समक्ष गिरफतार किया गया था, गिरफतारी पत्रक प्र०पी० –11, 12 है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 01–06–2021 को समय 10.05 बजे आरोपीया के चारपारा स्थित मकान की तालाशी गवाह उसके एवं दीपक की उपस्थिती में लिया गया था, जिसमें तालाशी बेशुद्व रही थी। जो प्र०पी०–10 है, जिसके स से स भाग पर उसके तथा द से द भाग पर आरोपीया का हस्ताक्षर लिया गया। उसके द्वारा दिनांक 01–06–2021 को समय 09–20 बजे आरोपी संतोष कुमार के अमरैया पारा स्थित मकान की तालाशी गवाह उसके एवं दीपक की उपस्थिति में लिया गया था, जिसमें तालाशी बेशुद्व रही थी, जो प्र०पी०–09 है, जिसके स से स भाग पर उसके तथा द से द

भाग पर आरोपीया का हस्ताक्षर लिया गया। उसके द्वारा गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

(22) साक्षी लक्ष्मी नारायण जायसवाल **(अ.सा–10)** ने अपनें न्यायालीन कथन में आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया है । वह प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल को जानता है, वह उसका साला है । घटना माह फरवरी 2021 की है, ग्राम कुसुमझर में प्रार्थी का सावित्री काम्पलेक्स नामक प्रतिष्ठान है, जिसमें प्रार्थी का मझला भाई कमरा नंबर 15 में सोया हुआ था, जब वह रात को 3 बजे जागा तो देखा कि कमरा नंबर 2 एवं 3, जिसमें कपड़ा दुकान है, का लाईट बंद है, जिस पर उसे आशंका हुई कि लाईट कैसे बंद है, तब उसने प्रार्थी को लाईट बंद होने की जानकारी दी, जिस पर प्रार्थी उसे एवं उसके पुत्र के साथ घटना पर गया था, वे लोग घटना स्थल पर देखे कि लाईट बंद है, तब वे लोग लाईट को चालू किये थे, तो देखे कि दुकान नंबर 1 से 3 एवं 6 से 7 का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना प्रार्थी के द्वारा थाना में दी गयी थी, तब पुलिस वाले

तत्काल वहां पर आये और शटर उठाकर देखे तो दुकान के अंदर रखा हुआ साड़ी, लड़कियो का जींस, 2 शटर का हैंण्डल, कई गाडियो की चाबी, ईनोवा गाडी की चाबी, स्कूटी की चाबी लगभग 11,9000/–रुपये नगद आदि कुल लगभग एक लाख रुपये के मूल्य के सामान चोरी हुआ था ।

(23) साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किसके द्वारा चोरी कारित किया गया है । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जो सामान चोरी होना बताया है, उसके संबंध में उसने रसीद नहीं देखा था । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि दुकान क्रमांक 2, 3 के अलावा अन्य दूसरे कमरे का ताला टूटा हुआ है परंतु वहां कोई चोरी नहीं हुआ है । साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि लॉक हैंण्डल चोरी हुआ था ।

(24) साक्षी विरेन्द्र मनहर **(अ.सा–11)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि दिनांक 22–02–2021 को प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल के द्वारा मौखिक शिकायत के आधार पर उसके द्वारा थाना डभरा के अप. क्र. 94/2022 अंतर्गत धारा

457, 380 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था, उसके द्वारा दर्ज किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–1 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके तथा अ से अ भाग पर प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल के हस्ताक्षर है । उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकारता है कि प्रार्थी ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में रिपोर्ट दर्ज कराया था । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकारा है कि प्रार्थी जिस समय रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, उस समय उसने चोरीशुदा संपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था । साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध किया है ।

(25) प्रकरण के विवेचक साक्षी निरीक्षक रविन्द्र अनंत **(अ.सा–12)** ने अपनें न्यायालीन कथन में बताया है कि दिनांक 16–05–2021 को समय 10 बजे थाना सक्ती में अपराध क्र० 38/21 धारा 457, 380 भा०द०सं० की विवेचना के दौरान गवाह मुकेश कुमार एवं दीपक कुमार की उपस्थिति में आरोपिया प्रमिला साहू से पूछताछ किया गया था , जिसमें आरोपिया ने आरोपी संतोष पटेल के साथ मिलकर ग्राम कुसुमझर मोटर

सायकल से जाकर सडक किनारे स्थित सावित्री काम्प्लेक्स के ताला को तोडकर अंदर घुसकर कपडे एवं नगदी पैसे को चोरी करना तथा नगदी रकम मे से 11,930/–रूपये को संतोष पटेल के पास रखना एवं बाकी कपडे के सामान को आरोपीया द्वारा अपने पास होना तथा घर मे रखना बताया था, जिसमे प्लाजो, हिना साडी, लड़की की जींस, मोजा, लड़का का जींस लोवर, साडी, बंधन साडी, एवं आई स्मार्ट कंपनी के साडी को अपने घर मे रखना बतायी थी । अपराध क्र० 38/21 की मेमोरेण्डम कथन की सत्यापित छायाप्रति प्र०पी०–7–ए है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपिया के हस्ताक्षर लिया गया ।

(26) साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा उसी दिनांक को आरोपी संतोष पटेल से गवाह मुकेश कुमार एवं दीपक कुमार की उपस्थिति में पूछताछ किया गया था, जिसमें आरोपी ने आरोपिया प्रमिला साहू के साथ मिलकर ग्राम कुसुमझर मोटर सायकल से जाकर सडक किनारे स्थित सावित्री काम्प्लेक्स के ताला को तोडकर अंदर घुसकर कपडे एवं नगदी पैसे को चोरी करना तथा नगदी रकम मे से 11930/–रूपये को

अपने पास रखना एवं बाकी कपडे के सामान को आरोपीया प्रमीला साहू को देना बताया था । मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–5–ए है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर लिया गया । उसके द्वारा उसी दिनांक को आरोपिया के बताये अनुसार ग्राम चारपारा से आरोपिया के कब्जे से प्लाजो 1 नग, हिना साडी 1 नग, लडकी की जींस 30 नंबर वाले 3 नग, मोजा 4 नग, लडका का जींस 28 नंबर का 2 नग, लोवर 3 नग, साडी बंधन कंपनी का 1 नग, साडी, एवं आइ स्मार्ट कंपनी के 1 नग साडी को जप्त किया गया था ।

(27) साक्षी ने आगे बताया है कि जप्ती पत्रक प्र०पी०–8 है, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी का हस्ताक्षर लिया गया । उसके द्वारा उसी दिनांक को आरोपी संतोष पटेल के बताये अनुसार गवाहो की उपस्थिति में ग्राम अमरैया पारा सोंठी स्थित आरोपी के घर से निकालकर पेश करने पर नगद रकम 20,500/– रूपये जिसमे 1, 2, 5 एवं 10 रूपये के सिक्के है, को जप्त किया गया था । जप्ती पत्रक प्र०पी०–6 है, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर तथा द से द भाग पर आरोपी

का हस्ताक्षर लिया गया । उसके द्वारा उसी दिनांक को गवाहो के समक्ष आरोपी संतोष पटेल एवं आरोपीया प्रमीला को गवाहो के समक्ष गिरफतार किया गया था, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०–28 व 29 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उ

(28) उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिये जाने एवं मेमोरेण्डम कथन दर्ज करने के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा की नकल प्रस्तुत नहीं किया है । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मेमोरेण्डम कथन में यह लेख नहीं है कि आरोपी के द्वारा चोरी किये गये सामान को बरामद करने के संबंध में कथन किया गया है । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि इ से इ भाग पर यह लेख नहीं है कि किस स्थान पर सामान को रखा गया है । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जप्ती स्थल जाने के संबंध में उसने रोजनामचा सान्हा की प्रति पेश नहीं किया है । साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस स्थान से जप्ती करना बताया है, उस स्थान के स्वामित्व के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जिस

स्थान से जप्ती करना बताया है, उक्त स्थान का लंबाई चौड़ाई मकान के कमरे के संबंध में कोई विवरण पेश नहीं किया है ।

(29) **प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्तानुसार साक्ष्य तत्पश्चात की गयी संवीक्षा से यह परिलक्षित है कि** प्रकरण के प्रार्थी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुध अपराध पंजीबध्द किया गया है। प्रार्थी के द्वारा आरोपीगण के विरुध कोई कथन नही किया गया है। प्रकरण के मेमोरेण्डम और जप्ती के साक्षी मुकेश कुमार **(अ.सा–3)**, दीपक कुमार **(अ.सा–4) नें** मुख्य परीक्षण में जप्ती कार्यवाही किया जाना बताया है किन्तु साक्षीगण नें आरोपीगण से उसकी निशानदेही के आधार पर सामान की जप्ती का कथन नही किया है । उक्त साक्षीगण नें उनके समक्ष आरोपीगण व्दारा कोई कथन नही किया जाना बताया है । साक्षीगण नें प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्हे पुलिसवालो ने बताया था कि आरोपीगण से सामान जप्त किये है क्या सामान जप्त किये थे उसकी जानकारी नही होना बताया है । इस प्रकार प्रकरण के मेमोरेण्डम और जप्ती के साक्षी मुकेश कुमार **(अ.सा–3)**, दीपक कुमार **(अ.सा–4)** के मुख्यपरीक्षण में किये कथन

प्रतिपरीक्षण में खंडित हों गया है ।

(30) प्रकरण में आरोपीगण कों चोरी करते हुये देखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नही है । जिसके कारण घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा मेमोरेण्डम, जप्ती कार्यवाही युक्तियुक्त संदेह से परें प्रमाणित नहीं होने से साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान अनुसार उपधारणा किये जाने का आधार मौजूद नहीं है जिससे प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अभियुक्तगण के आधिपत्य से बरामद किया गया जो कि प्रार्थी के मकान से गृहभेदन कर चोरी कारित कर प्राप्त की गयी थी। प्रकरण के अन्य साक्षीगण ने अभियुक्तगण के विरुध कोई कथन नही किया है और उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा जप्त शुदा समाग्री की शिनाख्ती कार्यवाही नही कराया गया है। प्रार्थी व्दारा अज्ञात व्यक्ति के विरूध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराया गया है । जिससे घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है जिससे प्रकरण में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। **इस संबंध**

में उल्लेखनीय है कि आपराधिक विधि के मान्य सिद्धांत के अनुसार अभियोजन को अपने प्रत्येक प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए और जहां अभियोजन साक्ष्य से दो मत संभव हो, वहां न्यायालय को उस मत का अवलम्ब लेना चाहिए, जो आरोपी के पक्ष में हो।

(31) इस प्रकार प्रकरण में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त **संतोष कुमार पटेल एवं प्रमिला साहू** नें दिनांक 21.02.2021 से 22.02.2021 को दरमियानी थाना डभरा क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम कुसुमझर के सावित्री काम्पलेक्स में स्थित प्रार्थी कन्हैया लाल जायसवाल के कपड़ा दुकान से (जो मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है) में चोरी (जो कारावास से दण्डनीय है) करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं आपस में एक साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय कायम कर उक्त आशय के अग्रसरण में उक्त दुकान से 11,930/–(अक्षरी ग्यारह हजार नौ सौ तीस रुपये) नगद, 10 नग दुल्हन साड़ी,

लड़कियो के जींस 11 नग 28 नंबर का, 24 नग 30 नंबर का, 11 नग 32 नंबर का, 9 नग 26 नंबर का, 15 नग प्लाजो, 12 नग हाफ पेंट, 4 नंग बंधन साडी, 4 नग सुंदर साड़ी, 12 नग लोवर, 9 नग आई स्मार्ट साडी, 40 नग फाल, 20 नग दुपट्टा, 30 नग मोजा, 7 नग कुर्ती, लड़का जींस 11 नग 28 नंबर का, 9 नग 30 नंबर का, 10 नग 32 नंबर का, 4 नग 34 नंबर का, 7 नग गमछा, 10 नग लूंगी, 10 नग टी शर्ट, 1 नक कैंची, 2 नग चश्मा, 4 नग मार्कर पेन, 1 नग इनोवा चाबी, 1 नग स्कूटी चाबी, 14 नग लिंग ताला का चाबी, 2 नग शटर खोलने का हैंडल चाबी जुमला 85,930/–(अक्षरी पच्चासी हजार नौ सौ तीस रुपये) को दुकान के संरक्षक की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया । **तदानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 एवं 2 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' में दिया जाता है।**

// दोषसिद्धि एवं दण्डादेश //

(32) उपरोक्त विवेचना का सार यह है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की **धारा–457, 380 सहपठित धारा 34 भा0 द 0 सं0** को युक्ति–युक्त

संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, परिणामतः अभियुक्त **संतोष कुमार पटेल एवं प्रमिला साहू** के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की **धारा–457, 380/34** के अभियोग से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

(33) **आरोपी संतोष कुमार पटेल एवं प्रमिला साहू** की ओर से धारा 437 ए दं0 प्र0 सं0 के परिपालन में प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से छः माह तक प्रभावी रहेगा।

(34) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति प्लाजो कपड़ा 1 नग, हीना साड़ी 1 नग, लड़की का जींस 30 नंबर वाली 3 नग, मोजा 4 नग, लड़का जींस 28 नंबर वाली 02 नग, लोवर 03 नग, साड़ी बंधन कंपनी का 01 नग साड़ी, आई.स्मार्ट कंपनी का 01 नग उसके स्वामी को अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में प्रार्थी कों वापस किया जावें । प्रकरण में अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त संपत्ति का निराकरण किया जावे।

(35) प्रकरण में अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा के संबंध मे दंण्ड प्रक्रिया

संहिता की धारा 428 के अधीन पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

स्थान –सक्ती छ०ग०

दिनांक –24/01/2024

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

GANGA PATEL Digitally signed by GANGA PATEL

(श्रीमती गंगा पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0।

मेरे निर्देश मे टंकित किया गया।

GANGA PATEL Digitally signed by GANGA PATEL

(श्रीमती गंगा पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0।

Reg Cri–Case No –777/2022

CGJC060009612022

State Of C.G Vs Santosh Kumar + 1 Others

धारा 428 दं0 प्र 0 सं0 के अतर्गत प्रमाण पत्र

क्र 0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत मे रिहा होने का दिनांक	कुल निरोध की अवधि
1	संतोष कुमार पटेल	17–05–2021	दिनांक 17.05.2021 से आज दिनांक दिनांक 24–01–2024	निरंक	निरंक	982 दिन
2	प्रमिला साहू	17–05–2021	दिनांक 17.05.2021 से आज दिनांक दिनांक 24–01–2024	निरंक	निरंक	982 दिन

स्थान – सक्ती छ०ग०
दिनांक –24/01/2024

GANGA PATEL Digitally signed by GANGA PATEL

(श्रीमती गंगा पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0।